सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2011/172

दायर दिनांक 02.08.2011

वादी		प्रतिवादीगण
1. हणमानराम पुत्र बलभाराम, जाति जाट, निवासी डसाणा कलॉं, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. हुकमाराम पुत्र बोदुराम, 2. प्रतापराम पुत्र बोदुराम, 3. दलाराम पुत्र बोदुराम, 4. झणकारी बैवा मोहनराम, 5. गिरधारी पुत्र मोहनराम, 6. नोलाराम पुत्र उदाराम, 7. मोहनी देवी बैवा बेगाराम, 8. चुनाराम पुत्र बेगाराम, 9. पेमाराम पुत्र बेगाराम, 10. गंगा बैवा बलभाराम, जाति जाट, निवासी आकोदा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 11. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा, बंटवारा,
रेकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित–

1. श्री सैयद अल्ताफ हुसैन अधिवक्ता, वादी की और से।
2. श्री रणजीत बलारा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 की और से।

–:: अन्तिम निर्णय ::–

दिनांक 25.01.2018

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की खातेदारी सुदा पैत्रक खेत मौजा डसाणा कलॉं, खसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा, खसरा संख्या 166 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 167 रकबा 0.16 बीघा, खसरा संख्या 168 रकबा 15 .18 बीघा, खसरा संख्या 169 रकबा 22.18 बीघा, खसरा संख्या 177 रकबा 6.09 बीघा कुल रकबा 96.02 बीघा स्थित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की वंशावली वाद में दर्शित है, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के पूर्वज स्व0 उदाराम जी के चार पुत्र बोदूराम, बलभाराम, नोलाराम, बेगाराम हुये, जिनमें प्रत्येक का 1/4 हिंस्सा बंट उक्त मौजा डसाणा कलॉं के कुल रकबा 96.02 बीघा में से मौके पर बंटवारा कर कब्जा काश्त करते आये और इसी अनुरूप उनके वारिसान निर्बाध रूप से अपने अपने हिंस्सा बंटवारा में काश्त कर रहे है। उक्त प्रकार से उदाराम के पुत्र बोदुराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अपने 1/4 हिंस्सा पर काश्त कर रहे है, जो वाद पत्र के अभिन्न अंग नजरी नक्शा मार्क ए, बी, सी, डी, ई से दर्शित है, जो कि खसरा संख्या 168 में से 12 बिस्वा, खसरा संख्या 169 सम्पूर्ण 22.18 बीघा, कुल 23.10 बीघा हिंस्सा बंट व काश्त में आता है। तथा उदाराम के पुत्र बलभाराम के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 10

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अपने 1/4 हिंस्सा बंट पर काश्त कर रहे है, जो वाद पत्र के नजरी नक्शा मार्क एफ, जी, एच, आई, जे, के एल से दर्शित है, जो कि खसरा संख्या 177 सम्पूर्ण रकबा 6.09 बीघा, खसरा संख्या 165 रकबा 17 बीघा कुल 23.09 बीघा हिंस्सा बंट व काष्त में है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 10 का हित एक ही है, प्रतिवादी संख्या 10 हाजीर नहीं होने से उसे परफोरमा प्रतिवादी बनाया है। उदाराम के पुत्र नोलाराम प्रतिवादी संख्या 6 अपने 1/4 हिंस्सा बंट पर काश्त कर रहे है, जो वाद पत्र के नजरी नक्शा मार्क एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर से दर्शित है, जो कि खसरा संख्या 165 रकबा 15 बीघा, खसरा संख्या 167 सम्पूर्ण रकबा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 168 रकबा 7.14 बीघा कुल 23.10 बीघा हिंस्सा, बंट काश्त में है। उदाराम के पुत्र बेगाराम प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 अपने 1/4 हिंस्सा बंट पर काश्त कर रहे है, जो वाद पत्र के नजरी नक्शा मार्क एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू से दर्शित है, जो कि खसरा संख्या 165 रकबा 16.07 बीघा, खसरा संख्या 168 रकबा 7.02 बीघा कुल 23.9 बीघा हिंस्सा बंट व काश्त में आता है, उक्त खसरान में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के हिंस्से में से 02 बीघा भूमि प्रत्येक बोदुराम, बलभाराम, नोलाराम, बेगाराम के वारिसान के हिस्से मे से प्रत्येक के 10 बिस्वा भूमि कर घोषणा कटाणी रास्ता किया जावें, जो नजरी नक्शा मार्क एक्स, वाई, जेड है। उक्त पैतृक खेतो में से खेत खसरा संख्या 166 रकबा 0.04 बीघा में गैर मुमकिन बेरा है, जो सामलाती खातेदारी का है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन बंटवारा नहीं चाहा जा रहा है, बल्कि उक्त खसरा संख्या 166 सामलाती खातेदारी का ही रहेगा। उक्त प्रकार वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के मध्य बंटवारा मौके पर हो रखा होने से उक्त प्रकार से ही घोषणा बंटवारा करवाकर रिकार्ड दुरुस्ती किया जाना आवश्यक है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 11 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की और से वकिल हीरसिंह बलारा ने वकालतनामा पेश किया।

प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 ने जबाब मय काउन्टर कलैम पेश किया, जिसमें वादी ने वंशावली में स्व0 बोदुराम की पुत्री सुप्यार, स्व0 बलभाराम की लड़कियां भंवरी, सोहनी, सोनी, सुन्दर को स्व0 बेगाराम की लड़कियां जेठी, सरजु, विमला, सुखी तथा मोहनराम की लड़कियां पुष्पा, हीरा, छोटी, चॉदू व संजु को वंशावली में उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि ये दावा के आवश्यक पक्षकार है, इनके पक्षकार नहीं बनाने के अभाव में यह दावा चलने योग्य नहीं है तथा प्रथम द्रष्टया ही खारीज योग्य है, वादी ने गलत बंटवारा बताया है तथा सरासर गलत नजरी नक्शा पेश किया है, वादी ने पक्षकारान के बंट व कब्जा काश्त में आये सी हिंस्सा को नहीं दर्शाकर वास्तविकता से परे जाकर बंटवारा पेश किया है, जबकि प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 ने सही नजरी नक्शा पेश किया है, और पक्षकारान द्वारा अपने अपने बंट व कब्जा काश्त के हिंस्सो पर अबाध रूप से काविज चले आ रहे है और वास्तविक बंटवारा के अनुसार पक्षकारान वर्षो से अपने बंट व कब्जा काश्त के हिंस्सो पर काविज है।

सहायक कलेक्टर
श्रीबालाना (नागौर)

पृष्ठ संख्या .....3.... लगातार

Scanned by CamScanner

स्व0 बोदूराम के वारिसान हुक्माराम, प्रतापराम, दलाराम, झणकारी व गिरधारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के बंट व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा संख्या 168 रकबा 15.10 बीघा में से 8.8 बीघा दक्षिणी पूर्वी, खसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा में से 3.5 बीघा जो दो जगह बंट में आयी है अर्थात 18 बिस्वा भूमि दक्षिणी पूर्वी तथा खसरा संख्या 168 की उतरी सींव के चिपता हुआ व 2.7 बीघा, खसरा संख्या 169 के चिपता हुआ। खेत खसरा संख्या 169 रकबा 22.18 बीघा सम्पूर्ण, खेत खसरा संख्या 167 रकबा 16 बिस्वा में 8 बिस्वा पूर्वी तथा खसरा संख्या166 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन कुऑ में से दो बिस्वा कुल 35.01 बीघा, वादी बलभाराम के वारिसान हनुमानराम व गंगा देवी के बंट व कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा में से 6.11 बीघा, खेत खसरा संख्या 177 के चिपती हुई व खेत खसरा संख्या 177 रकबा 6.09 बीघा सम्पूर्ण कुल 13 बीघा। प्रतिवादी बेगाराम के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 7 ता 9 के बंट व कब्जा काश्त का हिंस्सा :– खेत खसरा संख्या 166 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा मे से 1 बिस्वा व खेत यखसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा में से 19.17 बीघा व खेत खसरा संख्या 168 रकबा 15.18 बीघा मे स`3.15 बीघा कुल 24.1 बीघा भूमि बंट में आयी उक्त बंटवारे में बलभाराम के पुत्र वादी हनुमानाराम के बंट व कब्जा काश्त में कम भूमि इसलिये आयी है वादी के पिता बलभाराम ने दिनॉक 30.06.1974 को 11 बीघा खेत प्रतिवादी नम्बर 01 व 03 के पिता बेदुराम ने 5100/रूपयों मे मौल खरीद लिया था और तब से लेकर आज तक प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के पिता बोदुराम के बंट व कब्जा काश्त मे रहा तथा बोदुराम के स्वर्गवास के बाद उसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 का कब्जा काश्त अबाध रूप से चला आ रहा है और इसी कारण प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 के बंट व कब्जा काश्त में आयी इस प्रकार प्रतिवादीगण का एडवर्स कब्जा है। जिससे प्रतिवादीगण खातेदारी प्राप्त करने के जायज अधिकारी है। इस प्रकार कुल खेत 96.02 बीघा वाके डसाणा कलॉ है जिसमे से स्व0 उदाराम के चार पुत्रो बोदुराम, बल्लभाराम, नोलाराम व बेगाराम प्रत्येक के 1/4 हिंस्से की भूमि 24 बीघा भूमि प्रत्येक पक्षकार के बंट व कब्जा काश्त में कानूनन आती है, लेकिन वादी हनुमानराम के पिता ने आज से करीब 43 वर्ष पूर्व ही 11 बीघा भूमि का बेचाण बोदुराम को कर देने के कारण वादी के कब्जा काश्त व बंट में केवल 13 बीघा भूमि रह गयी है लेकिन वादी के मन में लालच आ गया है और वह अपने पिता द्वारा विक्रय की गयी 11 बीघा भूमि वापस प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 से लेने के प्रयास में है प्रतिवादी नम्बर 1 ता 5 व इनके पिता बोदूराम द्वारा अपने नाम से विक्रय पत्र नहीं करवाया और केवल रेवन्यु टिकिटो के उपर अपने हस्ताक्षर रूबरू पक्षकारान करके 11 बिघा खेत का कब्जा बोदुराम को संभला दिया था, लेकिन इस लिखा पढ़ी से बोदुराम के नाम से खातेदारी दर्ज नही हो सकी और इसी को लेकर वादी के मन में लालच और आ गया और वह विक्रित भूमि वापस लेना चाहता है। जिसका की उसको कोई हक अधिकार नहीं है। इस बंटवारे को प्रतिवादीगण ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है जो जवाब मय काउन्टर क्लैम का भाग है।

पृष्ठ संख्या ......4...... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

इसके अलावा प्रतिवादी 8 ता 9 के पिता बेगाराम ने बोदुराम, बलभाराम व नोलाराम के खिलाफ एक दावा बाबत बंटवारा का श्रीमान के न्यायालय में दिनॉक 06.09.1989 को पेश किया था, जिसके वाद संख्या 196/89 है। इस वाद में प्रतिवादी नोलाराम व बोदुराम ने अपने द्वारा पेश राजीनामा दिनॉक 23.10.1991 में बलभाराम द्वारा बोदुराम को विक्रय विलेख की गयी भूमि का उल्लेख किया है और राजीनामा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रतिवादी बलभाराम ने अपने हिंस्से की रकम न देकर उसकी एवज में सन् 1974 में खसरा संख्या 165 रकबा 49.18 बीघा में से 7 बीघा पूर्वी हिंस्सा व खसरा संख्या 168 रकबा 15.17 बीघा मे से अपना 1/4 भाग कुएँ से उतर का हिंस्सा प्रतिवादी बोदुराम को दे दिया व खसरा संख्या 166 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा का 1/4 भाग प्रतिवादी बोदुराम को दिया दिनॉक 30.06.1974 को 5100/रू के पेटे व गंगा जलिया कुऑ वाके सरहद आकोदा की लागडी पेटे दे दी। इससे भी प्रतिवादीगण के कथन की पुष्टि कानूनन होती है। इसलिये वादी व प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 के खिलाफ इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रतिवादीगण की खातेदारी, क्रय सुदा, बंट व कब्जा काश्त की वाद के नजरी नक्शा में दर्शित भूमि व प्रतिवादीगण के नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज व मार्क ग़, ड़ ठ, ट, झ व मार्क आर, एस, यू, टी व मार्क ग, घ, ड़, च वाके डसाणा कलॉ में किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं करे न अन्य से करावे।

जबाब दावा का जबाबुल जबाब वादी द्वारा दिया गया, जो शामिल मिशल किया गया, तथा तनकियात कायम की गयी, तत्पश्चात पक्षकारान की सहमति से प्राथमिक डिक्री का आदेश पारित किया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार डीडवाना ने दिनॉक 10.11.2017 को प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट पेश की।

मौखिक साक्ष्य में वादी की और से अपनी साक्ष्य में पीडब्ल्यु -1 वादी हणमानराम स्वयं व पीडब्ल्यु -2 श्रवण सिंह के बयान करवाये गये। वादी द्वारा और साक्ष्य नहीं करवाने के कारण वादी की साक्ष्य बंद की गयी, तत्पश्चात प्रतिवादीगण की और से साक्ष्य में डी. डब्ल्यु- 01 हुक्माराम, डी.डब्ल्यु -02 मोहनी, व डी.डब्ल्यु -03 नोलाराम के बयान हुये। तत्पश्चात प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गयी।

दस्तावेजी साक्ष्य में वाद की और से खतौनी की नकल प्रदर्श - 1 है, नक्शा ट्रैस प्रदर्श -2 है, नजरी नक्शा प्रदर्श -3 है, तथा प्रतिवादी की और से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रतिवादी द्वारा पेश नजरी नक्शा प्रदर्श -ए 1 है, दिनॉक 23.07.1993 का डिक्री पर्चा प्रदर्श -ए 2 है, प्रतिवादी बोदुराम व नोलाराम का जबाब प्रदर्श -ए 3 है, प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट प्रदर्श - ए 4 है।

जिसमें वादी ने अपने वाद में वर्णित कथनो को दोहराते हुये वाद पत्र के कॉलम संख्या 03 में वर्णितानुसार व नजरी नक्शा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 के मध्य घोषणा बंटवारा करवाकर रिकार्ड दुरुस्ती किया जाने व वादी व प्रतिवादी संख्या 10 के हिंस्सा की भूमि मार्क एफ जी एच आई जे के एल दर्शित भुमि में रोक टोक हस्तक्षेप नहीं करने का निवेदन किया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

पृष्ठ संख्या .....5...... लगातार

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जबाब दावा मय काउण्टर क्लैम में वर्णित कथनो को दोहराते हुये निवेदन किया की वादी के पिता बलभाराम से दिनॉक 30.06.1974 को 11 बिघा खेत प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 के पिता बोदुराम ने 5100/रूपयों में मोल खरीद लिया था, तब से लेकर आज तक बोदुराम व बोदुराम की मृत्यु के बाद इसके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 का कब्जा काश्त अबाध रूप से चला आ रहा है। तथा इस कथन की पुष्टि वादी के पिता बलभाराम के सगे भाई बेगाराम ने अपने अन्य भाईयों के खिलाफ श्रीमान के न्यायालय में इन्ही खेतो बाबत बंटवारा का दावा दिनॉक 06.09.1989 को किया था, जिसके वाद संख्या 196/89 है, उस वाद में प्रतिवादी नोलाराम व बोदुराम ने अपने द्वारा पेश राजीनामा दिनॉक 23.10.1991 में भी बलभाराम द्वारा बेची गयी भूमि का कथन है, तथा वादी हणमानराम ने भी अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी हुक्माराम व उसके पुत्रों के उक्त खेतो में मकान करीब 14–15 वर्षो से बने हुये है। इतना ही नहीं मौके पर नाप चौक कर तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट दिनॉक 10.11.2017 से भी प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के कथनो की पुष्टि होती है और इस रिपोर्ट में भी प्रतिवादीगण का कब्जा माना है। तथा प्रतिवादीगण ने अपनी साक्ष्य मे स्वयं डी.डब्ल्यु –1 हुक्माराम, गवाह डी.डब्ल्यु –2 मोहनी देवी व डी.डब्ल्यु –03 नोलाराम ने भी प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 का कब्जा अबाध रूप से वर्ष 1974 से बोदुराम के समय से ही होने का कथन किया है, ये तीनो गवाह विवादित खेतो के सह खातेदार है। जिन्होने प्रतिवादीगण का पिछले करीब 42–43 वर्षो से अबाध रूप से काश्त करने व कब्जा की बात का कथन किया है। तथा करीब 20 वर्ष पुराने प्रतिवादी हुक्माराम व उसके लड़को के पक्के मकान होने का भी कथन किया है।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने यह भी बताया की उक्त खेतो के संबध में बंटवारा का दावा पुर्व में ही इन्ही पक्षकारो बीच मुकदमा संख्या 196/1989 में दर्ज होकर दिनॉक 23.07.1993 को खारीज हो चुका है, इसलिये पुनः वादी बंटवारा का दावा करने का अधिकारी नहीं रहा है, तथा यह वाद मयाद बाहर भी है। इसके अलावा वादी ने घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा के साथ बंटवारा का दावा किया है, लेकिन रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी का दावा लाने का वादी अधिकारी नहीं है। इसलिये वादी का दावा चलने योग्य नहीं है। अंत में प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा पेश जवाब दावा में वर्णितानुसार काउन्टर क्लैम स्वीकार कर जवाब के साथ नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार व प्राथमिक डिक्री में दर्शाये अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया। बहस के समर्थन में आर.एल. डब्ल्यु 2007(2) राजस्थान पेज 1076 न्यायिक द्रष्टान्त पेश किया।

विद्वान अधिवक्तागण की गई सारगर्भित बहस सुनी गई। उभय पक्षो की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। एंव प्रस्तुत न्यायिक द्रष्टात का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया।

पृष्ठ संख्या __6__ लगातार

उपखण्ड कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

इस वाद में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 द्वारा पेश नजरी नक्शे से मिलान व कथनो की पुष्टि होती है। तथा प्रतिवादीगण व उनके गवाहान द्वारा किये गये कथनो से प्रतिवादीगण का पिछले 42-43 वर्षो से अबाध रूप से कब्जा काश्त की पुष्टि होती है, तथा वादी स्वयं ने अपनी जिरह में भी प्रतिवादी हुक्माराम व उसके पुत्र, पुत्रों व भाईयों के 14-15 वर्ष पुराने मकान होने का कथन किया है, तथा प्रतिवादीगण व उनके गवाहान के कथनो का खंडन भी किसी अन्य सह खातेदार या गांव के अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है, प्रतिवादी की और से पेश गवाह डी. डबल्यु -2 मोहनी देवी व डी. डब्ल्यु नोलाराम दोनो ही विवादित खेतो के सह खातेदार है, तथा वादी के नजदीकी रिस्तेदार है, इस प्रकार वादी तनकी नम्बर 01 साबित करने में असमर्थ रहा है तथा प्रतिवादीगण तनकी नम्बर 03 को साबित करने में सफल हुये है, इसके अलावा प्रतिकुल कब्जे के आधार पर भी प्रतिवादीगण पिछले 42-43 वर्षो से कब्जा काश्त करने व प्राथमिक डिक्री के आधार पर तनकी नम्बर 04 साबित करने में सफल रहे है। तथा ऐसी स्थिति में वादी तनकी नम्बर 02 भी साबित करने में असफल रहा है।

वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहे है जबकि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 जबाब दावा मय काउन्टर क्लैम को अपने शपथ पत्रों, दस्तावेजात व प्राथमिक डिक्री के आधार पर साबित करने में सफल रहे है। तथा उक्त तथ्यो की पुष्टि प्रतिवादीगण द्वारा पेश द्रष्टान्त से भी होती है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी के विरूद्व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 का काउन्टर क्लैम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर वाके सरहद डसाणा कलॉ में स्थित खेत खसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा, खसरा संख्या 166 रकबा 0.04 बीघा गैर मूमकिन बैरा, खसरा संख्या 167 रकबा 0.16 बीघा गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा संख्या 168 रकबा 15.18 बीघा, खसरा संख्या 169 रकबा 22.18 बीघा व खसरा संख्या 177 रकबा 6.09 बीघा कुल 96.02 बीघा का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाकर प्राथमिक डिक्री में वर्णितानुसार व प्राथमिक डिक्री के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार खेत खसरा संख्या 168 रकबा 15.18 बीघा में से 8.07 बीघा, खसरा संख्या 169 रकबा 22.18 बीघा में से 22.09 बीघा, खसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा में से 3.04 बीघा कुल 34.00 बीघा के प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किये जाते है, तथा प्रतिवादी संख्या 06 नोलाराम के बंट व कब्जा काश्त में खेत खसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा में से 20 बीघा, खसरा संख्या 168 रकबा 15.18 बीघा में से 3.01 बीघा, कुल 23.01 बीघा व प्रतिवादी नम्बर 7 ता 9 मोहनी, चुनाराम उर्फ चेनाराम व पेमाराम के बंट व कब्जा काश्त में खसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा में से 19.07 बीघा

पृष्ठ संख्या ......7..... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

व खसरासंख्या 168 रकबा 15.18 बीघा में से 3.15 बीघा कुल 23.02 बीघा तथा वादी हनुमानराम के बंट व कब्जा काश्त में खेत खसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा में से 5.16 बीघा, खसरा संख्या 177 रकबा 6.09 बीघा कुल 12.05 बीघा भूमि बंट में आने से प्राथमिक डिक्री में वर्णितानुसार स्वतंन्त्र खातेदार घोषित किये जाते है। इसी प्रकार प्राथमिक डिक्री में वर्णितानुसार खेत खसरा संख्या 166 रकबा 0.04 बिघा गैर मुमकिन बैरा व खसरा संख्या 167 रकबा 0.16 बीघा गैर मुमकिन ढ़ाणी की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 के हिंस्से में 1/4 प्रतिवादी नोलाराम के हिंस्से में 1/4 प्रतिवादी मोहनी देवी, चुनाराम व पेमाराम के हिंस्से में 1/4 व वादी हनुमानाराम व गंगा के हिंस्से में 1/4 स्वतन्त्र खातेदार घोषित किये जाते है। तथा खसरा संख्या 168 में से 0.15 बीघा, खसरा संख्या 165 में से 1.10 बीघा व खसरा संख्या 169 में से 0.09 बीघा प्राथमिक डिक्री में दर्शाये अनुसार पक्षकारान के सामलाती में रास्ते की भूमि घोषित की जाती है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **25.01.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2011 / 172**   दायर दिनांक **02.08.2011**

वादी		प्रतिवादीगण
1. हणमानराम पुत्र बलभाराम, जाति जाट, निवासी डसाणा कलॉ, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. हुकमाराम पुत्र बोदुराम, 2. प्रतापराम पुत्र बोदुराम, 3. दलाराम पुत्र बोदुराम, 4. झणकारी बैवा मोहनराम, 5. गिरधारी पुत्र मोहनराम, 6. नोलाराम पुत्र उदाराम, 7. मोहनी देवी बैवा बेगाराम, 8. चुनाराम पुत्र बेगाराम, 9. पेमाराम पुत्र बेगाराम, 10. गंगा बैवा बलभाराम, जाति जाट, निवासी आकोदा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 11. तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा, बंटवारा,
रेकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– **88, 53, 188 R.T.Act.**

–:: अंतिम डिक्री निर्णय ::–   दिनांक :– **25.01..2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अल्ताफ हुसैन, अधिवक्ता, वादी की और से तथा रणजीत बलारा, अधिवक्ता, प्रतिवादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा शरहद डसाणा कलॉ पटवार क्षैत्र आकोदा भू–निरीक्षक क्षैत्र खुनखुना, तहसील डीडवाना जिला नागौर में हस्व दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर वाके सरहद डसाणा कलॉ में स्थित खेत खसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा, खसरा संख्या 166 रकबा 0.04 बीघा गैर मूमकिन बैरा, खसरा संख्या 167 रकबा 0.16 बीघा गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा संख्या 168 रकबा 15.18 बीघा, खसरा संख्या 169 रकबा 22.18 बीघा व खसरा संख्या 177 रकबा 6.09 बीघा कुल 96.02 बीघा का कानूनी रूप से बंटवारा किया जाकर प्राथमिक डिक्री में वर्णितानुसार व प्राथमिक डिक्री के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार खेत खसरा संख्या 168 रकबा 15.18 बीघा में से 8.07 बीघा, खसरा संख्या 169 रकबा 22.18 बीघा में से 22.09 बीघा, खसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा में से 3.04 बीघा कुल 34.00 बीघा के प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किये जाते है, तथा प्रतिवादी संख्या

पृष्ठ संख्या .....2.... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

06 नोलाराम के बंट व कब्जा काश्त में खेत खसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा में से 20 बीघा, खसरा संख्या 168 रकबा 15.18 बीघा में से 3.01 बीघा, कुल 23.01 बीघा व प्रतिवादी नम्बर 7 ता 9 मोहनी, चुनाराम उर्फ चेनाराम व पेमाराम के बंट व कब्जा काश्त में खसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा में से 19.07 बीघा व खसरा संख्या 168 रकबा 15.18 बीघा में से 3.15 बीघा कुल 23.02 बीघा तथा वादी हनुमानराम के बंट व कब्जा काश्त में खेत खसरा संख्या 165 रकबा 49.17 बीघा में से 5.16 बीघा, खसरा संख्या 177 रकबा 6.09 बीघा कुल 12.05 बीघा भूमि बंट में आने से प्राथमिक डिक्री में वर्णितानुसार स्वतंन्त्र खातेदार घोषित किये जाते है। इसी प्रकार प्राथमिक डिक्री में वर्णितानुसार खेत खसरा संख्या 166 रकबा 0.04 बिघा गैर मुमकिन बैरा व खसरा संख्या 167 रकबा 0.16 बीघा गैर मुमकिन ढ़ाणी की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 01 ता 05 के हिंस्से में 1/4 प्रतिवादी नोलाराम के हिंस्से में 1/4 प्रतिवादी मोहनी देवी, चुनाराम व पेमाराम के हिंस्से में 1/4 व वादी हनुमानाराम व गंगा के हिंस्से में 1/4 स्वतन्त्र खातेदार घोषित किये जाते है। तथा खसरा संख्या 168 में से 0.15 बीघा, खसरा संख्या 165 में से 1.10 बीघा व खसरा संख्या 169 में से 0.09 बीघा प्राथमिक डिक्री में दर्शाये अनुसार पक्षकारान के सामलाती में रास्ते की भूमि घोषित की जाती है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–..........मुबलिंग............मुबलिंग...........–.............बाबत.............–.............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 25.01.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner